

निर्णय बँडपलस सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 52 / 2021

तारीख दायरा 22.04.2021

उनवान

अजय मीणा उर्फ भैरूलाल आत्मज शंकरलाल जाति मीणा निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला
कोटा राजस्थान।

—वादी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—एजिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

दिनांक :- 22.07.2021


श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का
प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार
हलका तहसील सांगोद जिला कोटा की निम्न आराजी स्थित है—

खाता सं. नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	
ना झंडा दिवस	4	4	1179	2.56
			576	0.31
			577	0.32
			597	0.55
			598	0.55
			601	0.27

ना झंडा दिवस
7-7 DECEMBER
FORCES FLAG DAY





738	0.15
739	1.44
741	0.02
742	0.26
743	0.38
745	0.92
746	0.46

कुल 13 किता की कुल 8.19 हैक्टर आराजी

वादी के एकल खाते की माल ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में निम्न आराजी स्थित है-

खाता सं. नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर
286	287	1180	0.75
		573	0.35
		575	0.27
		602	0.28



कुल 4 किता की कुल 1.65 हैक्टर आराजी

वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृत्यु हो जाने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादी का गांव में बोलने वाला नाम भैरूलाल पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज कर दिया है। वादी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड व शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में अजय उर्फ भैरूलाल पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी कमोलर दर्ज है। वादी के ही दो नाम अजय व भैरूलाल हैं लेकिन दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति हैं वादी के अलावा और कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

वादी केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए ई-मित्र कियोस्क पर गया तो ई-मित्र संचालक ने खाते में व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में एक ही नाम नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया। इस कारण वादी के लिए आवश्यक होने पर वादी पटवारी हलका के पास गया उनके द्वारा वादी का नाम सही नहीं करने पर वादी प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी द्वारा भी वादी का नाम सही नहीं किया गया इस कारण से वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें कि-

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपरोक्त तहसील
सांगोद, जिला-कोटा

पटवारी, सांगोद

माल ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं. नई 4 की ख.न. 1179 की 2.56 है, ख.न. 576 की 0.31 है, ख.न. 577 की 0.32 है, ख.न. 597 की 0.55 है, ख.न. 598 की 0.55 है, ख.न. 601 की 0.27 है, ख.न. 738 की 0.15 है, ख.न. 739 की 1.44 है, ख.न. 741 की 0.02 है, ख.न. 742 की 0.26 है, ख.न. 743 की 0.38 है, ख.न. 745 की 0.92 है, ख.न. 746 की 0.46 है कुल 13 किता की कुल 8.19 है आराजी व वादी के एकल खाते की खाता सं. नई 286 की ख.न. 1180 की 0.75 है, ख.न. 573 की 0.35 है, ख.न. 575 की 0.27 है, ख.न. 602 की 0.28 है कुल 4 किता की कुल 1.65 है आराजी में दर्ज वादी के नाम मरूलाल पुत्र शंकरलाल को दुरस्त कर अजय मीणा पुत्र शंकरलाल जाति मीणा दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। वादी अधिवक्ता की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादी के हक में वाद को डिकी किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विद्युत बिल इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि—

माल ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं. नई 4 की ख.न. 1179 की 2.56 है, ख.न. 576 की 0.31 है, ख.न. 577 की 0.32 है, ख.न. 597 की 0.55 है, ख.न. 598 की 0.55 है, ख.न. 601 की 0.27 है, ख.न. 738 की 0.15 है, ख.न. 739 की 1.44 है, ख.न. 741 की 0.02 है, ख.न. 742 की 0.26 है, ख.न. 743 की 0.38 है, ख.न. 745 की 0.92 है, ख.न. 746 की 0.46 है कुल 13 किता की कुल 8.19 है आराजी व वादी के एकल खाते की खाता सं. नई 286 की ख.न. 1180 की 0.75 है, ख.न. 573 की 0.35 है, ख.न. 575 की 0.27 है, ख.न. 602 की 0.28 है कुल 4 किता की कुल 1.65 है आराजी में दर्ज वादी के नाम मरूलाल पुत्र शंकरलाल को दुरस्त कर अजय मीणा पुत्र शंकरलाल जाति मीणा दर्ज करने के घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

सशस्त्र सेना प्रंडा दिवस



7 दिसम्बर-7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा



(अंजना सहस्रवती)
उपस्थानिक, विलासि सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहस्रवती)
उपस्थानिक, विलासि सांगोद



प्रमाणित प्रतिलिपि

उपस्थानिक, विलासि सांगोद

सशस्त्र सेना झंडा दिवस



7 दिसम्बर-7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक - 2022/142

दिनांक - 5/1/22

वास्ते- पटवारी हलका कंगोद

विषय- मि.न. 1/22 इजराय की पालना बाबत।

उनवान- अजयभीजा राजा सरकार

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

दिनांक - 5/1/22

क्रमांक - /2021/142

तिलिपि-सूचनार्थ/पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद/नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

1/22

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक/LR/2023/805

दिनांक-16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0.....52/2021.....
उनवान.....अजय शीमा / राजलका.....में जारी डिक्री दिनांक.
22.4.21... की पालना में ग्राम.....कमोहर.....में नामान्तरकरण सं.....1362.....
दिनांक 2/3/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी
है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)
तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2073 - 2076

भूमि धारक का नाम :- राज.मरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 4

खाता संख्या पुराना :- 4

नाम :- कमोलर
हस्ता :- कमोलर
पति :- बपावरकला
सौगोद
मोटा

- खार का नाम:-
अजय मीणा पुत्र शंकरलाल हिस्सा- 211/5270 जाति- मीणा सा. कमोलर खातेदार
अजा पति अजय हिस्सा- 105/527 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.4
हिच हिस्सा-105/527 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर
अजयप्रकाश पुत्र शंकरलाल हिस्सा- 211/5270 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.4
वीणाबाई पुत्री शंकरलाल हिस्सा- 211/5270 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.4
बाबकीबाई पुत्री शंकरलाल हिस्सा- 211/5270 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.4
बिन्धीबाई पति स्व. शंकरलाल हिस्सा- 211/5270 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.4
रामनारायण पुत्र चतरा हिस्सा- 211/1054 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.विव.- शुद्धि पत्र स.4
हिल हिस्सा-211/1054 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा सागोद
रामनारायण पुत्र चम्पालाल हिस्सा- 211/527 जाति- मीणा सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.1028 शुद्धि पत्र स.4
हिल हिस्सा-211/527 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा सागोद,

क्र.सं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
9	2.5600	चाही द्वितीय	2.5600 69.12		स्वीकृत नामांतरकरण : 1362 12/03/2022 न्याया. आदेश	
	0.3100	चाही द्वितीय	0.3100 8.37			
दिया	0.3200	चाही द्वितीय	0.3200 8.64			
दिया	0.5500	चाही द्वितीय	0.5500 14.85			
कुवाकी	0.5500	चाही द्वितीय	0.5500 14.85			
	0.2700	चाही द्वितीय	0.2700 7.29			
	0.1500	चाही द्वितीय	0.1500 4.05			
बाकी टु.	1.4400	चाही द्वितीय	1.4400 38.88			
	0.0200	वीड़ द्वितीय	0.0200 0.10			
	0.2600	चाही द्वितीय	0.2600 7.02			
	0.3800	चाही द्वितीय	0.3800 10.26			
45	0.9200	चाही द्वितीय	0.9200 24.84			

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2073 - 2076

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 4

खाता संख्या पुराना :- 4

0.4600 चाही
द्वितीय 0.4600 12.42

13 8.1900 8.1900 220.6900

केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

G